प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0

अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515008001005

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण वितरण अधिकारी,
एटा, इटावा, प्रयागराज, अयोध्या, ललितपुर, महोबा, कन्नौज, चित्रकूट तथा हापुड़।

संख्या 1/354/2021–1/10/2021 : लखनऊः दिनांक 10 फरवरी, 2022

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में क्षेत्र पंचायत के अधिष्ठान मद में अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–1005–क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी पंचायत) के अन्तर्गत मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–28 /2021 /791/33–3–2021–791/2021 दिनांक 08.04.2021 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में क्षेत्र पंचायत के अधिष्ठान की मानक मदों में आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार रू0–**3,62,30,916/–(रू0 तीन करोड़ बासठ लाख तीस हजार नौ सौ सोलह मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:–

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ–साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2021/बी–1–375/दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेषों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवष्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0–4/2018/आर0जी0–1021/दस/2018–मित0–1 /2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

10.निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाषीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराषि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–1005–क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी पंचायत) अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

12.नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

13.बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

14.यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।

15.एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

16.यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप–मुख्य–लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।

17.संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें–

1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग–1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2021–22 में यदि कोई धनराशि अवशेष हो तो उसे दिनांक 10.03.2022 तक निदेशालय को समर्पण करना सुनिष्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–103 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
10/2/22

संख्याः 1/354/2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0, शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0–2, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-10/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1-354-2021-1-10-2021
आवंटन आदेश संख्या:- 008-1-10-2021
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय
10 -
05 - क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानांतरित स्टाफ(ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2992779 24963838	1537945 6795741	0 1091560	4530724 32851139
2	इटावा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	136469 22552304	78125 6247499	11476 1143145	226070 29942948
3	प्रयागराज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5836055 79383320	1085000 18978063	48000 3848040	6969055 102209423
4	अयोध्या-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5719168 41801006	2981258 9984204	0 2437548	8700426 54222758
5	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4240706 13857366	1254266 3439595	0 577318	5494972 17874279
6	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1763428 7370121	459681 1811116	0 415031	2223109 9596268
7	कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	222860 23360708	1330007 5528183	0 1273637	1552867 30162528
8	चित्रकूट-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4160905 15692063	1740245 4019910	0 690224	5901150 20402197
9	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	217335 15448622	415208 3974670	0 795883	632543 20219175
	योग	वर्तमान प्रगामी	25289705 244429348	10881735 60778981	59476 12272386	36230916 317480715

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ बासठ लाख तीस हजार नौ सौ सोलह
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इकत्तीस करोड़ चौहत्तर लाख अस्सी हजार सात सौ पन्द्रह

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी